

पत्रावली वापस  
के क्रम में

रीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामिल में जारी हुए

पत्रावली आज पेश हुई।  
प्रार्थीगण वकील उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय  
में राजस्व आवेदन दिनांक 01.01.2024 को दर्ज करने के  
बाद प्रार्थीगण वकील को विप्रार्थीगण के नोटिस रजि. डाक  
भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु प्रार्थीगण वकील द्वारा  
आज तक विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये। प्रार्थीगण  
वकील को नोटिस तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद  
भी प्रार्थीगण वकील ने विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये।  
लगभग आठ माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त  
भी विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव  
उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत  
प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन अदम तकमील में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

